कचहेरी चौक, एम.एच 17 प्राईवेट बस स्टेण्ड (अमन मेडिकल चौक के स्थान पर कटंगी रोड मुस्लिम कब्रिस्तान प्रांगड) नगर पालिका कार्यालय भवन के सामने में कुल 4 नग 12 मीटर के हाई मास्क स्ट्रीट लाइट पोल को सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से व्यय राशि रूपये 10 लाख प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसके आधार पर निकाय के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के जैम प्लेस में 4 नग हाई मास्क लेम्प स्पेसिफिकेशन 12.5 मीटर ऑक्टाजोनल हाई मास्क पोल, टॉप 150 एम.एम. बाटम 360 एम.एम., मटेरियल सहित, रिंग ब्रेकट, जेड फाउन्डेसन ब्लेट, बेस प्लेट एवं सभी एसेसिरीज़ मोटर बिना फिडर पीलर एवं बिना लाइट के 4 नग क्रय करने की कार्यवाही तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा जैम प्लेस बिड नंबर जैम/2022/बी/2928128 दिनांक 30.12.2022 को लगायी गयी तथा ओपनिंग दिनांक 16.01.2023 रखी गयी थी जिसमे ऑनलाईन स्पेसिफिकेशन 12 मीटर हाई मास्क का 4 नग कम्प्लीट फेड लाइट पोर्टल में अपलोड था जिसके अनुसार दिनांक 18.01.2023 को जैम बिड पर तीन निविदाकारों के द्वारा भाग लिया जाकर दरों में ऑनलाईन तुलनात्मक पत्रक में से एल 1 मेसर्स राय ट्रेडर्स की राशि रूपये 18,60,000/– 04 नग सेंट की प्राप्त हुई तथा प्राप्त दर स्पेसिफिकेशन के अनुसार की थी जिसके फलस्वरूप पूर्व पोलो की भांति इन पोलो का स्पेसिफिकेशन की तुलना में पोल हेवी ड्यूटी है इस कारण उक्त दर पर तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा एल 1 को निविदा समिति के समक्ष बैठक दिनांक 19.01.2023 को रखा गया तथा निविदा समिति के तकनीकी अमले के सदस्यों के द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्री का पर्याप्त विश्लेषण कर मध्य प्रदेश नगर पालिका (मेयर–इन–काउंसिल/प्रेसिडेंट–इन–काउंसिल) के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एंव कर्त्तव्य) नियम, 1998 के नियम 5(5) (12) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य शासन के द्वारा नगरीय निकाय में क्रय की जाने वाली समस्त प्रकार की सामग्री जो जैम में उपलब्ध है, को भारत सरकार के जैम के माध्यम से ही क्रय किये जाने के लिये प्राधिकृत करता है, के प्रावधान के अंतर्गत जैम प्लेस की निविदा के तहत क्रय की गयी थी, तथा क्रय की गयी सामग्री सिवनी नगर के नागरिको की मूलभूत सुविधा के अंतर्गत जनहित को दृष्टिगत रखते हुये रात्रिकालीन सड़क मार्गीय प्रकाश व्यवस्था को देखते हुये प्राप्त दर पर प्रेसिडेंट–इन–काउंसिल की बैठक दिनांक 16.10.2023 के प्रस्ताव क्रमांक 15 में दर के अतिरिक्त व्यय की राशि सहित स्वीकृति प्राप्त कर जनहित में कार्य करवाया गया है, इस प्रकार मेरे द्वारा संबंधित सामग्री के क्रय में किसी भी अधिकारियों के साथ मिलकर अवांछित लाभ प्राप्त करने तथा निकाय को आर्थिक हानि पहुंचाने के लिये कोई कृत्य नही किया गया है तथा पी.आई.सी. की बैठक, निविदा समिति के अनुमोदन के अनुसार उक्त सामग्री क्रय की गयी है जिसमें मेरा व्यक्तिगत कोई हित नही है, इस प्रकार उक्त आरोप बेबुनियाद है।"

विवेचना :–02

श्री खफीक खान द्वारा उनके विरूद्ध अधिरोपित आरोप पर प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर व अभिलेखों एवं नियमों के प्रकाश में परीक्षण किया गया। अधिरोपित आरोप अनुसार 4 नग 12 मीटर हाईमास्ट 12 नग 400 वॉट एल.ई.डी. सहित अपेक्षाकृत अधिक दर पर क्रय कर नगर पालिका परिषद सिवनी को राशि रूपये 2,60,000/– की आर्थिक हानि पहुंचाये जाने के लिये उन्हे अक्षेपित किया गया है। साथ ही निविदा आमंत्रण में मध्यप्रदेश नगर पालिका (वित्त एवं लेखा) नियम, 2018 के नियम 91 का पालन नही करने के लिये भी उन्हे आक्षेपित किया गया है।

श्री शफीक खान द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर में उल्लेख किया गया है कि 4 नग 12 मीटर हाईमास्ट लाइट 12 नग 400 वॉट एल.ई.डी. सहित क्रय किये जाने की निविदा संबंधी कार्यवाही मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा की जाकर प्राप्त दरों का निविदा समिति द्वारा विश्लेषण कर निविदा दरों की अनुशंसा की गई है, जिसकी स्वीकृति प्रेसीडेंट–इन–काउंसिल के प्रस्ताव क्रमांक 15, दिनांक 16.02.2023 से प्राप्त की गई है।

स्वीकृत न्यूनतम दर UADD-ISSR-2021 की तुलना में अधिक होने के संबंध में उनके द्वारा कोई तथ्यात्मक विवरण प्रतिवाद उत्तर में नही दिया गया है।

जांच प्रतिवेदन अनुसार UADD-ISSR-2021 में 12 मीटर हाईमास्ट पोल की दर निम्नानुसार उल्लेखित है:–

12.5 meter Highmast Pole SoR Rate	=1,56,193/-
12 Nos. 400 Watt LED Light (12X13000 (Market Approx)	=1,56,000/-
Foundation as per SoR	=27,484-
Total	=3,39,484/-
Total after adding 18%GST	=4,00,591/-

नगर पालिका परिषद, सिवनी द्वारा उक्त उल्लेखित दर से अधिक दर पर हाईमास्ट लाइट की स्थापना का कार्य किया गया है, जिससे निकाय को लगभग राशि रूपये 65,000/– प्रति नग की आर्थिक क्षति संभावित है।

जांच प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत प्रकरण नस्ती की छायाप्रति के अवलोकन से ज्ञात होता है, कि दिनांक 19.01.2023 को निविदा समिति द्वारा प्राप्त दरों की अनुशंसा की गई है तथा अनुशंसा अनुसार न्यूनतम दर राशि रूपये 4,65,000/– प्रति नग निविदाकार मेसर्स राय ट्रेडर्स की स्वीकृति प्रेसीडेन्ट–इन–काउंसिल से प्राप्त की गई है। जांच प्रतिवेदन अनुसार हाईमास्ट लाइट स्थापना की स्वीकृत न्यूनतम दर UADD-ISSR-2021 में उल्लेखित दर की तुलना में राशि रूपये 65,000/– प्रति नग अधिक पाई गई है। यही नही निविदा आमंत्रण में मध्यप्रदेश नगर पालिका (वित्त एवं लेखा) नियम, 2018 के नियम 91 में निविदाओं के आमंत्रण हेतु निर्धारित समय–सीमा संबंधी प्रावधानों का भी पालन नही किया गया है। उक्त नियम के उपनियम (1) के खण्ड (ग) में निविदा प्रकाशन के संबंध में वर्णित प्रावधान इस प्रकार है :–

"(ग) दस लाख रूपये से कम मूल्य के किसी कार्यों, सामग्री एवं सेवाओं के लिए निविदा आमंत्रण के लिए प्रथम आमंत्रण में निविदा प्रस्तुत करने की अवधि 15 दिवस से कम नहीं होगी एवं निविदा के दूसरे आमंत्रण के लिए निविदा प्रस्तुत करने की अवधि विज्ञापन प्रकाशन के दिनांक से सात दिवस होगी। दस लाख रूपये से अधिक मूल्य के कार्यों, सामग्री एवं सेवाओं के लिए निविदा प्रस्तुत करने की अवधि प्रकाशन के दिनांक से तीस दिवस से कम नहीं होगी एवं दूसरी बार या निविदा के पश्चातवर्ती आमंत्रण में निविदा प्रस्तुत करने की अवधि 15 दिवस की होगी।"

प्रकरण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 12 मीटर 04 नग हाईमास्ट स्थापना कार्य हेतु प्रेसीडेन्ट–इन–काउंसिल के प्रस्ताव क्रमांक 20 दिनांक 21.09.2022 से रूपये 10,00,000/– की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की गई थी। न्यूनतम निविदा दर की स्वीकृति हेतु प्रेसीडेन्ट–इन–काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक 15 दिनांक 16.02.2023 को रूपये 8,60,000/– की अतिरिक्त स्वीकृति प्राप्त की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि हाईमास्ट लाइट स्थापना कार्य की लागत रूपये 18,60,000/– थी। यही नहीं इस कार्य हेतु कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया हैं और न ही सक्षम तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई है।

यही नहीं हाईमास्ट लाइट स्थापना पश्चात किये गये कार्य का सक्षम तकनीकी अधिकारी से प्रमाणीकरण भी नही कराया गया है। सक्षम तकनीकी अधिकारी से प्रमाणीकरण नही कराये जाने से कराये गये कार्य में निर्धारित मानकों के पालन की स्थिति भी संदेहास्पद है।

जांच प्रतिवेदन अनुसार 04 नग 12 मीटर हाईमास्ट लाइट स्थापना कार्य की निविदा मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा दिनांक 30.12.2022 को आमंत्रित की गई, जिसमें दिनांक 18.01.2023 को वित्तीय बिड खोली गई है। निविदा सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार–पत्र में किये जाने के संबंध मे श्री शफीक खान द्वारा अपने प्रतिवाद उत्तर में कोई विवरण नही दिया गया है और न काई अभिलेख प्रस्तुत किये गये है।

निविदा आमंत्रण में नियमों में उपबंधित प्रक्रिया एवं समय–सीमा संबंधी प्रावधानों का पालन नही किया गया है। श्री शफीक खान द्वारा अध्यक्ष के रूप में मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 51 में वर्णित कर्तव्यों एवं दायित्वों का विधि अनुसार पालन करने में चूक की गई है, जिसके लिये वे नगर पालिका परिषद, सिवनी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के साथ–साथ नियमों में वर्णित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुये निविदा आमंत्रित करने तथा प्रचलित दर से अपेक्षाकृत अधिक दर पर सामग्री क्रय कर, निकाय को आर्थिक हानि पहुंचाने के लिये समान रूप से उत्तरदायी पाये गये हैं।

श्री शफीक खान के विरूद्ध अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाया जाता है।

आरोप क्रमांक–03

यह कि नगर पालिका परिषद, सिवनी द्वारा उक्त अवधि में पी.आई.सी. के प्रस्ताव क्रमांक 50 दिनांक 13.06.2023 द्वारा प्राप्त स्वीकृति अनुसार 90 नग 90 वॉट LED Light क्रय किये जाने हेतु दिनांक 24.07.2023 को जेम पोर्टल पर निविदा अपलोड की गई। निविदा में न्यूनतम दर राशि रूपये 8250/– प्रति नग प्राप्त हुई, जिसे आपके द्वारा स्वीकृत किया गया। पी.आई.सी. द्वारा पारित संकल्प में बजाज कंपनी से LED Light क्रय किए जाने का उल्लेख है, किंतु निकाय द्वारा क्रय की गई LED Light की Technical Specification सामग्री IS Certification एवं Brand का उल्लेख नही पाया गया है। क्रय की गई सामग्री निर्धारित मानकों के अनुरूप नही पाई गई है टेंडर डॉक्यूमेंट में उल्लेखित शर्तों के अनुसार सामग्री की टेस्ट रिपोर्ट भी अभिलेखों में नही पाई गई है UADD-ISSR-2021 से दरों का मिलान करने में पाया गया है कि 90 वॉट LED Light की कुल दर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. सहित राशि रूपये 8,150 प्रति नग होती है। स्वीकृत दर अपेक्षाकृत अधिक पाई गई है। LED Light की क्रय प्रक्रिया में नियमों में वर्णित प्रावधानों का पालन किया जाना नहीं पाया गया है, जिसके लिए निकाय के अधिकारी/कर्मचारियों के साथ आप भी उत्तरदायी प्रतीत होते है।

प्रतिवाद उत्तर–03

अधिरोपित आरोप के संबंध में श्री शफीक खान, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद सिवनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर निम्नानुसार है :–

"वास्तविक तथ्य यह है कि उक्त बिन्दु पर मुझे आरोपित किया गया है जिस संबंध में मेरा यह स्पष्टीकरण है कि विद्युत प्रभारी उपयंत्री सुश्री बिन्देश्वरी पन्द्रे की मांग पर दिनांक 2.5.2023 के अनुसार 90 वाट की फल्ट लाइट छिन्दवाड़ा चौराहा से छिन्दवाड़ा ब्रिज के पास तक डिवाइडर पोल संख्या 70 नग में डबल लेम्प लगे है तथा उक्त लाइट पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण नवीन 90 वाट के फल्ट लाइट 150 नग, बजाज कंपनी की मांग की गई, जिसमें विद्युत प्रभारी उपयंत्री के द्वारा स्टीमेट स्पेसिफिकेशन व्यय सहित रिपोर्ट दिनांक 03.05.2023 को दी गयी जिसमे सहायक यंत्री श्री संतोष तिवारी के द्वारा 09.05.2023 को विद्युत प्रभारी उपयंत्री से प्रतिवेदन चाहा गया जिस पर दिनांक 15.05.2023 को श्री मेहतराम बरमाईया विद्युत लाईनमेन एवं विद्युत उपयंत्री के द्वारा 90 वाट की फल्ट लाइट लगाने का प्रतिवेदन दिया गया तथा सहायक यंत्री श्री संतोष तिवारी के द्वारा 15.05.2023 को 45 पोल पर दो नग लैम्प के मान से 90 लाइट क्रय करने की स्वीकृति दी गई तथा प्रकरण प्रशासकीय स्वीकृति हेतु पी.आई.सी. के प्रस्ताव क्रमांक 50, दिनांक 13.6.

2023 को पारित निर्णय अनुसार उपस्थित सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मती से रूपये 7,34,054/– की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जाकर प्रकरण मे दिनांक 14.07.2023 को जेम प्लेस प्रक्रिया में सामग्री क्रय करने की स्वीकृति प्राप्त की जाकर, जैम प्लेस बिड नंबर जैम/2023/बी/3735011 दिनांक 24.07.2023 अंतिम दिनांक 08.08.2023 रखी गई तथा तत्कालीन समय में विधानसभा निर्वाचन के बाद बिड 19.12.2023 को खोली गयी तथा दिनांक 20.12.2023 को निविदा समिति के समक्ष रखा जाकर संलग्न तुलनात्मक पत्रक के अनुसार बिड में दो निविदाकारों के द्वारा भाग लिया गया तथा दरों मे पर्याप्त प्रतिस्पर्धा होने से तकनीकी अमले के द्वारा निविदा समिति सहित बैठक दिनांक 20.12.2023 मे सामग्री क्रय करने का पर्याप्त विश्लेषण कर, मध्य प्रदेश नगर पालिका (मेयर–इन–काउंसिल/प्रेसिडेंट–इन–काउंसिल) के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एंव कर्त्तव्य) नियम, 1998 के नियम 5 (5) (12) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य शासन के द्वारा नगरीय निकाय में क्रय की जाने वाली समस्त प्रकार की सामग्री जो जैम में उपलब्ध है, को भारत सरकार के जैम के माध्यम से ही क्रय किये जाने के लिये प्राधिकृत करता है, के प्रावधान के अंतर्गत जैम प्लेस की निविदा के तहत क्रय की गई थी, तथा उपयंत्री, सहायक यंत्री सहित अध्यक्ष निविदा समिति के द्वारा 90 वाट की एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइट, बजाज कंपनी के जैम प्लेस बोड में न्यूनतम दर एल 1 पर राशि रूपये 8,250/– प्रति नग की स्वीकृति हेतु अनुशंसा प्रदान की जाकर सक्षम व्यय /वित्तीय व्यय की स्वीकृति 20.12.23 को दी गयी इसके उपरांत मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा सेंक्शन आर्डर एवं कान्ट्रेक्ट नंबर 511687765477052 दिनांक 26.12. 2023 जारी किया गया तथा दिनांक 04.01.2024 को मौका पंचनामा के अनुसार पाया गया कि फर्म श्री राम इंटरप्राईजेस भोपाल के द्वारा वाहन क्रमांक एम.पी.04–जीबी–2383 महिंद्रा पिकअप के माध्यम से बजाज कंपनी की एल.ई.डी. 90 वाट की 90 नग मानस भवन स्टोर में प्रदाय किया गया। जिसका निरीक्षण/परीक्षण निकाय के उपयंत्री, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, पार्षद एवं सभापति आकांक्षा सीबु सेंगर द्वारा भी किया गया। इसी प्रकार किटवई वार्ड पार्षद/सभापति की मांग के अनुसार जनहित मे छिंदवाडा रोड बायपास के पास से छिंदवाडा चौक गणेश मंदिर तक डिवाईडर के दोनों साईड की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था भंग होने के कारण आवागमन का व्यस्ततम मार्ग होने के कारण, अंधेरा होने के कारण, ज्यादा दुर्घटना होने के कारण, क्षेत्र के रहवासियों के द्वारा अंधेरा होने के कारण भारी जन आक्रोश व्यक्त किया गया था, जिसको दृष्टीगत रखते हुये उक्त मार्गीय प्रकाश व्यवस्था की गयी थी तथा किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने सामग्री क्रय नहीं किया गया तथा सामग्री क्रय किये जाने में शासन के जैम प्रक्रिया के नियमों का पालन किया गया है तथा निकाय हित व जनहित को दृष्टिगत रखते हुये जन हित मे उक्त कार्य किया गया है।"

<u>विवेचना :–03</u>

श्री शफीक खान के विरूद्ध अधिरोपित आरोप क्रमांक–3 में प्रेसीडेंट–इन–काउंसिल द्वारा पारित प्रस्ताव क्रमांक 50, दिनांक 13.06.2023 के विपरीत अमानक स्तर की सामग्री स्वीकृत दर से अपेक्षाकृत अधिक दर पर क्रय किये जाने के लिये उन्हे आक्षेपित किया गया है। उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर एवं अभ्यावेदन का उपलब्ध अभिलेखों एवं नियमों के प्रकाश में परीक्षण किया गया।

श्री शफीक खान द्वारा अपने प्रतिवाद उत्तर में उल्लेख किया गया है कि प्रेसीडेंट–इन–काउंसिल द्वारा पारित प्रस्ताव अनुसार 90 नग 90 वॉट एल.ई.डी. लाइट जैम पोर्टल के माध्यम से क्रय करने हेतु निविदा की कार्यवाही मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा की जाकर प्राप्त

न्यूनतम दर की निविदा समिति की अनुशंसा सहित न्यूनतम दर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई, जिस पर स्वीकृति प्रदान की गई। उनके द्वारा अपने प्रतिवाद उत्तर में यह भी उल्लेख किया गया है कि मौका पंचनामा अनुसार पाया गया है कि क्रय की गई 90 वॉट की एल.ई.डी. लाइट 90 नग बजाज कम्पनी की थी किन्तु उनके द्वारा अपनी बात के समर्थन में उल्लेखित पंचनामा की प्रति या कोई ऐसे प्रमाणिक अभिलेख की प्रति आदि प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे प्रमाणित होता हो कि क्रय की गई एल.ई.डी. लाइट बजाज कम्पनी की ही थी। प्रतिवाद उत्तर के साथ उनके द्वारा निविदा समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण, जिसमें निविदा समिति द्वारा न्यूनतम दर की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है, की प्रति भी प्रस्तुत की गई है। निविदा समिति के कार्यवाही विवरण में भी इस बात का कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि प्राप्त दरें किस कम्पनी की है। उल्लेखनीय है कि उक्त सामग्री क्रय करने की स्वीकृति प्रेसीडेंट–इन–काउंसिल के प्रस्ताव क्रमांक 5, दिनांक 13.06.2023 द्वारा प्रदाय की गई है, स्वीकृत प्रस्ताव में बजाज कम्पनी की एल.ई.डी. लाइट क्रय किये जाने का उल्लेख है।

जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार क्रय की गई उक्त सामग्री निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई है। प्राप्त सामग्री का गुणवत्ता परीक्षण भी नहीं कराया गया है। सामग्री क्रय की उक्त कार्यवाही के स्थान पर वर्षभर की आवश्यकता का आंकलन कर अन्य उपकरण जो इसी श्रेणी के हो, उनके साथ ग्रुप बनाकर जैम पोर्टल अथवा खुली निविदा के माध्यम से क्रय की कार्यवाही की जाती तो गुणवत्ता युक्त उपयुक्त मानक की सामग्री तथा स्पर्धात्मक दरें प्राप्त होती, जो निकाय हित में होता है। उक्त के दृष्टिगत नगर पालिका परिषद, सिवनी में 90 वॉट एल.ई.डी. लाइट क्रय करने में नियमों में वर्णित प्रक्रिया तथा दिशा–निर्देशों का खुला उल्लंघन किया गया हैं. जिसमें अध्यक्ष की संलिप्तता से इंकार नही किया जा सकता हैं। अतः श्री शफीक खान, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, सिवनी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित पाया जाता हैं।

<u>आरोप क्रमांक–04</u>

यह कि उक्त अवधि में नगर पालिका परिषद, सिवनी द्वारा 140 नग 26 वॉट LED Light क्रय की गई। उक्त सामग्री की न्यूनतम दर राशि रुपये 3,557/– प्रति नग आपके द्वारा स्वीकृत की गई। क्रय की गई सामग्री में Brand का कोई उल्लेख नहीं है। दरों का मूल्यांकन भी नहीं किया गया। सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण भी नहीं कराया गया। स्वीकृत न्यूनतम दर UADD-ISSR-2021 से मिलान करने पर 140 नग 26 LED Light की 18 प्रतिशत जी.एस.टी. सहित प्रति नग राशि रूपये 2589/– होती है। 140 नग की कुल राशि रूपये 3,62,449/– होती है। इस प्रकार आपके द्वारा निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ अपेक्षाकृत अधिक दर पर सामग्री क्रय किया जाकर, निकाय को लगभग राशि रुपये 1,36,000/– की आर्थिक हानि पहुंचाई गई है, जिसके लिए निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ–साथ आप भी उत्तरदायी प्रतीत होते है ”

<u>प्रतिवाद उत्तर–04</u>

अधिरोपित आरोप के संबंध में श्री शफीक खान, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद सिवनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर निम्नानुसार है :–

“वास्तविक तथ्य यह है कि उक्त बिन्दु पर मुझे आरोपित किया गया है जिसके संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रकरण में विद्युत प्रभारी उपयंत्री सुश्री बिन्देश्वरी उन्द्रे की मांग दिनांक 05.09.2022 के अनुसार 26 वाट की फ्लड लाइट नगरीय प्रकाश व्यवस्था के अंतर्गत तत्कालीन समय में गणेश उत्सव पर्व तथा नवरात्रि पर्व होने के कारण तथा नगर में अत्याधिक अंधकार होने के कारण स्ट्रीट लाइट के क्षतिग्रस्त होने व मरम्मत कार्य में लगने वाली सामग्री स्टॉक में उपलब्ध न होने से विद्युत प्रकाश व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुये 26 वाट की एल.ई.डी. लाइट लगाये जाने हेतु उपयंत्री के द्वारा स्टीमेट स्पेसिफिकेशन व्यय सहित रिपोर्ट दिनांक 05.09.